भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 2259</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

"पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क"

2259. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ग्राहकों से प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर वसूले जा रहे उत्पाद शुल्क का ब्यौरा क्या है और इसकी मात्रा कितनी है;
(ख) विगत वर्ष के जनवरी माह से से चालू वर्ष के जनवरी माह की अवधि के दौरान ग्राहकों से कुल कितना उत्पाद-शुल्क संग्रहीत किया गया है; और
(ग) क्या सरकार का उक्त शुल्क समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विवरण निम्नलिखित है-

जिंस	कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क(रू. प्रति लीटर)
पेट्रोल(अनब्रांडेड)	32.90
पेट्रोल(ब्रांडेड)	34.10
डीजल(अनब्रांडेड)	31.80
डीजल(ब्रांडेड)	34.20

(ख): जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि के दौरान पेट्रोल और डीजल पर वसूल किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कुल राशि लगभग 3,40,750 करोड़ रुपये है।

(ग): वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

*****